न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 69/2020

प्रार्थी

1. पकाराम उर्फ पुखाराम उर्फ प्रकाश पुत्र राणारामजी
   जाति भील निवासी ग्राम छियाली तहसील समदडी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भंवराराम पुत्र राणाराम
2. कुआराम पुत्र राणाराम
3. घेवरराम पुत्र राणाराम
4. हरचंदराम पुत्र राणाराम
5. हरकूदेवी पत्नी राणाराम
   समस्त जाति भील निवासी छियाली तहसील समदडी जिला बाडमेर
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण उनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 22.02.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की राजस्व गांव जालमपुरा पटवार क्षेत्र खण्डप में खसरा संख्या 1838/02 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा व राजस्व ग्राम छियाली पटवार क्षेत्र सेवाली में खसरा संख्या 140 रकबा 07 बीघा भूमि तहसील समदडी में आई हुई है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण भरते समय प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र राणाराम व पुखाराम पुत्र राणाराम अंकित कर दिया था जिसे प्रार्थी को ग्राम जालमपुरा व छियाली में आये अपने उपरोक्त खातेदारी के खेतों से संबंधित भूमि सुधार, कृषित्रण, सहकारी समिति सदस्यता, उचित मूल्य के खाद–बीज को प्राप्त करने बैंक के लेन–देन इत्यादि कार्यो भारी दुविधा उत्पन्न हो रही है जिस हेतु दुरूस्ती बावत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का बास्ते रेकर्ड दुरूस्ती पेश किया गया।

तहसीलदार समदडी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माफिक इस्तदुआ आदेश किया जा[illegible] राज्य सरकार के हित पर कोई प्रतिकुल प्रभाव न[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:48 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रा[illegible]पलब्ध समस्त दस्ता[illegible]का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारतीय स्टेट बैंक शाखा खण्डप द्वारा जारी बैंक की पासबुक, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम पकाराम पुत्र राणाराम अंकित है तथा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार समदडी द्वारा

प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार गॉव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा भी प्रार्थी का नाम पकाराम पुत्र राणाराम ही बताया गया है। अतः उक्त अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार समदडी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत किया जाकर राजस्व ग्राम जालमपुरा पटवार क्षैत्र खण्डप में खसरा संख्या 1838/02 रकबा 15 बीघा 03 विस्वा में अंकित नाम प्रकाश व राजस्व ग्राम छियाली पटवार क्षैत्र सेवाली में खसरा संख्या 140 रकबा 07 बीघा में अंकित नाम पुखाराम के स्थान पर "पकाराम" शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है। आदेश की पालना भूमिधारक तहसीलदार समदडी एक माह में कर पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:48 IST
Reason: SelfAttested